प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 08.06.2025**

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही।**
- **थाना रूरा पुलिस द्वारा गस्त के दौरान चेन स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 01 नफर शातिर अभियुक्त व 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त व बाल अपचारी के कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 03 अदद खोखा कारतूस व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 अदद मोबाइल फ़ोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पैशन प्रो तथा लूटी गई चैन के एवज में अर्जित राशि 12060 रुपए को किया गया बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 05.06.2025 को वादी श्री बालेस्टर सिंह चौहान पुत्र स्व0 मुकद्दम सिंह निवासी मोहल्ला रामनगर कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के साथ लाल पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों द्वारा चैन स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में दिनांक 05.06.2025 थाना रूरा पर मु0अ0सं0 181/25 धारा 304(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 08.06.2025 को गस्त के दौरान थाना रूरा पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि चेन स्नैचिंग की घटना में शामिल 02 नफर अभियुक्तगण सराय गढ़ेवा अण्डर पास के पास मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण की घेराबन्दी की गयी जब अभियुक्तों ने अपने को पुलिस के घेरा में देखा तो अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए फायर किया जिसमें अंकित सिंह पुत्र नवल सिंह निवासी ग्राम नुनारी थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगने से, वह घायल हो गया। तत्पश्चात् पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अंकित सिंह व बाल अपचारी को समय 01.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर, 03 अदद खोखा कारतूस , 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 02 अदद मोबाइल फ़ोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पैशन प्रो तथा लूटी गई चेन के एवज में अर्जित राशि 12060 रुपए बरामद हुए हैं। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बयानों के आधार पर घटना में 02 अन्य व्यक्तियों 1.ध्रुवराज सिंह पुत्र सुधीर सिंह तोमर निवासी मोहल्ला रामनगर कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात 2.सिन्टू यादव पुत्र राजेश यादव निवासी मोहल्ला रामनगर कस्बा का नाम प्रकाश में आया है। जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी रूरा भेजा गया।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना रूरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/2025 में धारा 304(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई व मु0अ0सं0

184/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारशुदा 01 नफर अभियुक्त व 01 नफर बाल अपचारी को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1.अंकित सिंह पुत्र नवल सिंह निवासी ग्राम नुनारी थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात उम्र 26 वर्ष।

2. 01 नफर बाल अपचारी।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर अभियुक्त व बालअपचारी ने बताया कि हम दोनों ने दिनांक 05.06.2025 को दोपहर में मोहल्ला रामनगर कस्बा रूरा से एक वृद्ध व्यक्ति के गले से सोने की छीनी थी व घटना में पैशन प्रो (लाल रंग) मोटर साइकिल का प्रयोग भी किया था। हमें लगा कि हमारे बारे में पुलिस को जानकारी हो गयी है, इसलिए हमनें पुलिस को देखकर व खुद के रोके जाने पर भागने का प्रयास किया था। हमारे पास से बरामद रूपये इसी घटना से सम्बन्धित हैं। इस घटना का षणयंत्र ध्रुवराज सिंह पुत्र सुधीर सिंह तोमर व सिन्टू यादव पुत्र राजेश यादव निवासीगण मोहल्ला रामनगर कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ने रचा था और घटना की मुखबिरी की थी। घटना को अन्जाम हम दोनों द्वारा दिया गया है। हम चारों पूर्व से परिचित हैं। यह पैसा हमें लूटी हुई चेन के एवज में 15 – 15 हजार रूपये ध्रुवराज सिंह पुत्र सुधीर सिंह तोमर निवासी मोहल्ला रामनगर कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ने दिये थे और छीनी गयी चेन ध्रुवराज सिंह ने ले ली थी।

बरामदगी का विवरण – 02 अदद तमंचा 315 बोर, 03 अदद खोखा कारतूस , 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 02 अदद मोबाइल फ़ोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पैशन प्रो तथा लूटी गई चैन के एवज में अर्जित राशि 12060 रुपए बरामद हुए।

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम -

1.प्रभारी निरीक्षक श्री जनार्दन प्रताप सिंह
2.उ0नि0 श्री रामकिशुन वर्मा
3.उ0नि0 श्री अंकित यादव
4.का0 87 संगम
5.का0 1209 सर्वेश कुमार
6.का0 932 यतेन्द्र सिंह
7.का0 884 सुधीर छौकर
8.का0 257 लवकुश चौधरी
9.चालक हे0का0 477 सर्वेन्द्र कुमार
10.का0 653 विवेक यादव